न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1592/2026

CNR No.UPBB 0100 3595 2026

जसीम अहमद आयु लगभग 22 साल पुत्र सिराज अहमदनिवासी अलैयापुर थाना कैसरगंज, जिला बहराईच।

—————— प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार — विपक्षी।

अपराध सं–172/2026
धारा–310(2), 317(2) बीएनएस
थाना–देवां
जिला–बाराबंकी।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता	श्री विजय वर्मा
अभियोजन पक्ष की ओर से	श्री अमित कुमार अवस्थी, प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0)बाराबंकी ।
जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने का दिनांक	04.06.2026
जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारण का दिनांक	09.06.2026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1617/2026

CNR No.UPBB 0100 3646 2026

सैफ आयु करीब 27 साल पुत्र मो0 याकूब खान, निवासी सोहिपुर थाना घुंघटेर जिला बाराबंकी।

—————— प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार — विपक्षी।

अपराध सं–172/2026
धारा–310(2), 317(2) बीएनएस
थाना–देवां
जिला–बाराबंकी।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता	श्री जुग्गीलाल गौतम
अभियोजन पक्ष की ओर से	श्री अमित कुमार अवस्थी, प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0)बाराबंकी ।
जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने का दिनांक	06.06.2026
जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारण का दिनांक	09.06.2026

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उनका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।

उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थनापत्र एक ही अपराध से सम्बन्धित हैं, अतः इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान प्रभारी शासकीय अधिवक्ता(फौ0) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

सक्षेंप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22.05.2026 को दर्ज करायी गयी कि बीती रात 21.05.2026 समय रात 3.20 बजे उसके घर के पीछे बनी दीवाल जिसमें लोहे का दरवाजा लगा है, का ईंट निकालकर दरवाजा खोलकर 3–4 अज्ञात चोर घर में घुस आये और जीने से उपर आ गये और आलमारी व बक्शा

खोलने लगे, शोर मचाने के प्रयास पर धमकाते हुये महिलओं के जेवर व नगदी का काफी पैसा ले गये, जिसका विवरण अलग से देगें। घटना में कुछ लोगों को चोटें आयीं हैं।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लिखित आधारों पर तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्तगण निर्दोष है। उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं हैं। पुलिस द्वारा फर्जी तौर पर गिरफतार कर बरामदगी दर्शायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में रूपयों व जेवरात का कोई विवरण नहीं दिया गया है। मुठभेड़ की कहानी फर्जी है मुठभेड़ में किसी पुलिस कर्मचारी को चोट नही आयी है अपितु आवेदक/अभियुक्तगण को आयीं हैं। उपरोक्त आधार पर जमानत प्रदान करने की याचना की गई है।

इसके विपरीत अभियोजन की ओर से प्रभारी शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता है। अभियुक्तगण द्वारा लूट के दौरान वादी मुकदमा के परिवार के सदस्यों को उपहति कारित किया गया है तथा लाखों रूपये के जेवरात व नकदी की लूट की गयी है। दौरान विवेचना अभियुक्तगण बलवंत सिंह, मो0 इस्माईल व मो0 अबरार को गिरफतार किया गया तथा उनके कब्जे से नकद रूपये व अवैध तमंचा व तथा बंधी हुई पोटली मे पायजेब सफेद धातु 04 अदद, कान की झुमकी पीली धातु 04 अदद, माला गुरिया बाजारु दो अदद मय दो पेडिता अंगूठी पीली धातु मर्दानी एक अदद, पायल सफेद धातु पतली लर मे एक जोड़ी कड़ा सफेद धातु एक अदद बनचे का कनछडी 03 अदद पीली धातु चांदी का सिक्का एक अदद जिस विक्टोरिया की फोटो 10 ग्राम का है। गले का हार एक अदद पीली धातु, मांग टीका पीली धातु एक अदद, नथिया पीली धातु तीन फूल की मय लड़ी एक अदद कान के टपस पीली धातु 2 अदद, झुमर पीली धातु एक अदद, हाथ फूल सफेद धातु 04 अदद वाल गजरा सफेद धातु 13 गुच्छे वाली एक अदद, विछुआ सफेद धातु 04 अदद तथा एक पेपर सफेद की पोटली में लिपटा हुआ पीली धातु का कटा हुआ जेवर गुरिया आदि के साथ बरामद हुआ है। आवेदक/अभियुक्त जसीम के पास से 1,03,000/—रूपये तथा अभियुक्त सैफ के पास से 1,35,000/—रूपये बरामद हुये हैं। आवेदक/अभियक्त जसीम व सैफ के पास से क्रमशः 1,35,000/— व 1,03,000/—रूपये व अवैध तमंचा बरामद हुआ है अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर है। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास होने का कथन किया गया और यह तर्क किया गया कि अभियुक्तगण को यदि जमानत पर मुक्त किया गया तो उनके फरार होने व इस प्रकार के अपराध कारित करने की पुनरावृत्ति की जायेगी। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से परिलक्षित हो रहा है कि वादी मुकदमा के घर में अज्ञात लोग घुसकर चोरी करने का प्रयास करने लगे और वादी के घर वालों के विरोध करने पर जानमाल की धमकी दी गयी व वादी के परिवार के सदस्य नंदिनी जायसवाल, सोनाली व रूद्रांश को मारपीटकर चोटें पहुंचायी गयीं। कथित घटना में काफी नकद रूपये व जेवरात लूट करने का कथानक है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट त्वरित

रूप से थाने पर दर्ज करायी गयी है। दौरान विवेचना दौरान विवेचना अभियुक्तगण बलवंत सिंह, मो0 इस्माईल व मो0 अबरार को गिरफतार किया गया तथा उनके कब्जे से नकद रूपये व अवैध तमंचा व तथा बंधी हुई पोटली मे पायजेब सफेद धातु 04 अदद, कान की झुमकी पीली धातु 04 अदद्, माला गुरिया बाजारु दो अदद मय दो पेडिता अंगूठी पीली धातु मर्दानी एक अदद, पायल सफेद धातु पतली लर मे एक जोड़ी कड़ा सफेद धातु एक अदद बनचे का कनछडी 03 अदद पीली धातु चांदी का सिक्का एक अदद जिस विक्टोरिया की फोटो 10 ग्राम का है। गले का हार एक अदद पीली धातु, मांग टीका पीली धातु एक अदद, नथिया पीली धातु तीन फूल की मय लड़ी एक अदद कान के टपस पीली धातु 2 अदद, झुमर पीली धातु एक अदद, हाथ फूल सफेद धातु 04 अदद वाल गजरा सफेद धातु 13 गुच्छे वाली एक अदद, विछुआ सफेद धातु 04 अदद तथा एक पेपर सफेद की पोटली में लिपटा हुआ पीली धातु का कटा हुआ जेवर गुरिया आदि के साथ बरामद होने का अभियोजन कथानक है। उक्त गिरफतार अभियुक्तगण की सूचना पर ही आवेदक/अभियुक्तगण जसीम व सैफ को गिरफतार किया गया और आवेदक/अभियुक्त जसीम के पास से 1,03,000/—रूपये तथा अभियुक्त सैफ के पास से 1,35,000/—रूपये बरामद होने का कथानक है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध व आपराधिक इतिहास को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्तगण मो जसीम अहमद व सैफ उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

जमानत आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र संख्या—1617/2026 सैफ बनाम सरकार की पत्रावली पर रखी जाये।

दिनांक— 09.06.2026

(प्रतिमा श्रीवास्तव)
सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी।
UP1899